

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 14-नागौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री हनुमान बेनीवाल


ग्राम व पोस्ट बरणगांव तहसील व जिला नागौर

जो राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- नागौर

तारीख:- 04 जून, 2024


(अरुण कुमार पुरोहित)
रिटर्निंग अधिकारी
14- नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
नागौर
(अरुण कुमार पुरोहित)
रिटर्निंग आफिसर
14-नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
नागौर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the 14-Nagaur Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri HANUMAN BENIWAL

Village & Post Barangaon Tehsil & District Nagaur

sponsored by Rashtriya Loktantrik Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: - Nagaur

Dated: - 04 June, 2024



(Arun Kumar Purohit)

Returning Officer

14-Nagaur Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate)
Nagaur

**(ARUN KUMAR PUROHIT)
RETURNING OFFICER
14-NAGOUR PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(DISTRICT COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE)
NAGOUR**